कार्यालय कलेक्टर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 334 /वाचक/2021 **सूरजपुर, दिनांक 26 /07/2021**

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र::

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग सूरजपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7183/तक./2020–21 सूरजपुर, दिनांक 19/10/2020 के माध्यम से सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण किये जाने हेतु ग्राम–तिलसिवां, तहसील–सूरजपुर अन्तर्गत स्थित भूमि खसरा नंबर 529 में से रकबा 1.82 हे. भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक विभाग के आवेदन पर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर से प्रतिवेदन लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–तिलसिवां, तहसील–सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 6.394 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेखों में छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 1.82 हे. भूमि पर जिला कोर्ट भवन निर्माण प्रस्तावित है। वादभूमि का मौका जांच राजस्व एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। वादभूमि वर्तमान में मौके पर पड़त है। वादभूमि पर किसी प्रकार का कोई पेड़ या झाड़ी जंगल नहीं है। वादभूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक वन अधिकार पत्र आबंटित नही किया गया है। वादभूमि पर वन निवासियों का कोई मकान नहीं बना हुआ है और न ही इनके द्वारा वादभूमि कृषि कार्य किया जा रहा है। जिससे आवेदक विभाग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन की कार्यवाही विधिवत पूर्ण किये जाने हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।

अतएव ग्राम–तिलसिवां, तहसील–सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 6.394 हे. में से रकबा 1.82 हे. छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत, नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण अर्थात् गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग सूरजपुर को उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/334A/वाचक/2021 **सूरजपुर, दिनांक 26/07/2021**

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध), कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग. अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड रायपुर, को सूचनार्थ।
2. मान. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Surajpur

****

No. 333/Reader/2021 Dated 26/3/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 1.820 hectares of Revenue forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Public Works Dept. (B/R) Division Surajpur** for **District Court Building** in **Surajpur** district falls within Jurisdiction of **Tilsiva** village(s) in **Surajpur** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.820 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure **01** to annexure **11**.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Tilsiva** village(s) is enclosed as annexure **01** to annexure **09** .

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The Rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA. Proposal do not have such groups.

Encl.: As above.

(Dr. Gaurav Kumar Singh)
Collector
DIST. – SURAJPUR

(1)

प्रदर्श—"ब"

ग्राम सभा तिलसिवां की बैठक दिनांक 23/03/2021

का कार्यवाही विवरण

ग्राम: तिलसिवां

स्थान: पंचायत भवन

दिनांक ....

आज दिनांक 23/03/2021 को ग्राम तिलसिवां के सरपंच श्री/श्रीमती कामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 08 सदस्य 72 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:--

1. ग्राम तिलसिवां में आवेदक जिला एवं सत्र न्यायालय ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.820 हे. वन भूमि 1.820 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.820 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावद ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि जिला एवं सत्र न्यायालय कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 1.820 हे. वन भूमि / 1.820 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.820 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स .... (आवेदक) जिला एवं सत्र न्यायालय को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिवा
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर
सरपंच
नाम ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला सूरजपुर (छ.ग.)
सरपंच..............

सील

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक नाम

-30

प्रारूप 4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

(2) 31

Jaisi:

1. ग्राम पंचायत का नाम तिलसिवां
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 336
4. सम्मिलन की तारीख 23/03/2021 5. सम्मिलन का समय 12:30

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
		कार्यालय कलेक्टर (पंचायत शाखा) जिला सूरजपुर (छ.ग.) का आदेश क्रमांक/53 ग्रा./पंचायत/ग्रा.स./2021 सूरजपुर दिनांक 18.03.2021 के निर्देशानुसार एवं कार्यालय जनपद पंचायत सूरजपुर ~~जिला~~ के आदेश क्र./5009/वि. ग्रा.स./2021 सूरजपुर दिनांक 18.03.2021 के निर्देशानुसार ग्राम तिलसिवां में दिनांक 23/03/2021 को ग्राम सभा रखा गया। सर्वप्रथम ग्राम सभा बैठक में आज के अध्यक्ष हेतु नाम का प्रस्ताव रखा गया। श्री राम सिंह को अध्यक्ष हेतु नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। श्री राम सिंह जी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ किया।
	प्रस्ताव क्र. 01 नशा मुक्ति अभियान नशापान के दुष्परिणामों को प्रचारित कर नशामुक्ति के लिए प्रेरित करने पर चर्चा।	ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष नशा मुक्ति अभियान नशापान के दुष्परिणामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया और सभी सदस्यों को समझाया दिया गया कि नशा नाश का जड़ है इसके सेवन से पूरा परिवार बिखर जाता है तथा विकास की कदम पर चलना मुश्किल है। इसलिए हम सभी को नशा को त्यागना होगा।
	प्रस्ताव क्र. 02 15वे वित्त योजना से 50% पेयजल के लिए आरक्षित करने एवं शासकीय संस्थान पर नल के माध्यम से रनिंग वाटर की व्यवस्था के संबंध में चर्चा।	बैठक में 15वे वित्त योजना से 50% पेयजल के लिए आरक्षित करने का निर्णय, एवं शासकीय संस्थानों ~~में~~ में रनिंग वाटर की व्यवस्था करने हेतु ग्राम सभा निर्णय लिया गया। शासकीय संस्थान निम्नानुसार है - 1. पंचायत भवन 2. शा०प्रा० शाला भवन 3. शा० मा० शाला भवन 4. तिलसिवां खास आंगनबाड़ी केन्द्र 5. वरपारा आंगनबाड़ी केन्द्र 6. सरना पारा आंगनबाड़ी केन्द्र

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिंवा
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

स्थान : .... तारीख : ....

32

प्रारूप-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

③ 33

1. ग्राम पंचायत का नाम तिलसिंवा
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 336
4. सम्मिलन की तारीख 23/03/2021 5. सम्मिलन का समय 12:30

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
	प्रस्ताव क्र. 03: 15वे वित्त 15वे वित्त एवं मूलभूत योजना मद से प्याऊ की व्यवस्था, हैण्डपंप मरम्मत नदी/नाले में अस्थायी नाला बंधान एवं स्टाप डेम में पानी संग्रहण पर समीक्षा	ग्राम सभा बैठक में 15वे, 15वे वित्त एवं मूलभूत योजना मद से प्याऊ की व्यवस्था करना है। प्याऊ स्थल पर छायादार व घड़ो में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जाता है। इस पर सभी ग्रामीण [illegible] विचार करना है। इसके साथ-साथ खराब हैण्डपंप को तत्काल सुधार किया जायेगा साथ ही नदी-नाले बंधान एवं स्टाप डेम में पानी की कोई कमी न हो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
	प्रस्ताव क्र. 04 ग्रीष्म ऋतु में लू आदि से बचाव हेतु उपायो पर चर्चा।	ग्राम सभा बैठक में ग्रीष्म ऋतु में लू आदि से बचने के लिए ताजा भोजन एवं पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना होगा। दुधमुंहे बच्चे, गर्भवती, महिलाओं, श्रमिक आदि को 10 बजे से 6 बजे तक गर्मी से बचाने हेतु छायादार ठंडे स्थान पर रहने की सलाह दिया जाना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर ताजा भोजन के साथ-साथ बाहर निकलते समय छाते का उपयोग करना चाहिए। जहाँ काम चल रहा है उस स्थान पर विश्राम करने के लिए छाया का पूर्ण प्रबंध करना है।
	प्रस्ताव क्र. 05 प्रस्ताव क्र. कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में।	ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष चर्चा किया गया कि कोविड-19 टीकाकरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। 45 से 59 वर्ष एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामवासियों को टीकाकरण अर्थात कोविड-19 टीकाकरण का सुरक्षा कवच वैक्सीन लगाया जा रहा है। जिसमें आवश्यक रूप से नजदीक के अस्पताल अर्थात हमारे ग्राम पंचायत के लिए [illegible] अस्पताल में टीका लगवाया जा रहा है। इसके साथ-साथ मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी का पालन आवश्यक रूप से करनी होगी।
	प्रस्ताव क्र. 06 - वृक्षारोपण के संबंध में।	बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष ग्रामवासियों को के समक्ष चर्चा किया गया कि ग्रामवासि ग्राम पंचायत के शासकीय या नीजि भूमि में खाली पड़े भूमि पर लगाया जाना अत्यन्त जरूरी है इससे पर्यावरण

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिंवा
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

स्थान : .... तारीख : ....

34

प्रारूप-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम तिलसिवां
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 334
4. सम्मिलन की तारीख 23/03/2021 5. सम्मिलन का समय 12.30

35

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
		सुरक्षित रहेगा।
	प्रस्ताव क्र. 07 गोधन न्याय योजना	बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष चर्चा किया गया कि ग्राम पंचायत तिलसिवां में गोठान का निर्माण किया जा चुका है किन्तु गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का काम चालू नहीं हुआ है।
	ग्राम पंचायत प्रस्ताव क्र. 08 ग्राम पंचायत के किन्ह निर्माण करने के संबंध में।	ग्राम पंचायत तिलसिवां के ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य कराया जाना है विवरण निम्नानुसार है :— (1) सामु. दायिक भवन निर्माण (2) स्कूल के पास, हैण्डपंप का पानी खाला निकल रहा है। (3) देवता के पास का पानी खाला निकल रहा है। (4) तिरखेनी घर के पास खराब निकल रहा है। (5) नाला बंधान सहालखेत के पास उपर में। बनाना है।
	प्रस्ताव क्र. 09 सिमेन्ट कांक्रीट नाली निर्माण के संबंध में।	बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि कि मेन रोड से रिखन घर तक की रास्ते में पानी का कोई निकासी नहीं है। जिससे बरसात का पानी निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है इसलिए उक्त रास्ते में सिमेन्ट कांक्रीट नाली निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। उपस्थित सदस्यों ने आपस में चर्चा करके उपरोक्त अनुसार नाली निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिंवा
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

स्थान : .... तारीख : ....

36

प्रारूप-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम तिलसिवां
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 336
4. सम्मिलन की तारीख 23/03/2021 5. सम्मिलन का समय 12:30

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)		सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
	प्रस्ताव क्र. 10 सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण के संबंध में।	बैठक में के स्थित हेतु चयनित के जंगल प्रस्तावित जाना है। बैठक की	दिनांक 23/03/2021 को ग्राम पंचायत तिलसिवां के ग्राम सभा सरपंच जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम पंचायत तिलसिवां भूमि ख.नं. 529 रकबा 1.820 हे. भूमि जिला कोर्ट भवन निर्माण किया गया है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे झाड़ मद में दर्ज है। छोटे झाड़ के जंगल मद में होने के कारण भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन किया जिसके लिए ग्राम पंचायत से आयोजित ग्राम सभा से पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
		आपस में विचार एवं जिला सूरजपुर नहीं है।	उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों एवं ग्राम स्तरीय वन समिति से चर्चा किया कि खसरा 529 रकबा 1.820 शासकीय भूमि एवं साथ न्यायालय हेतु आरक्षित है तथा संयुक्त जिला कार्यालय पंचायत से लगा हुआ भूमि है। उक्त भूमि पर जिला हेतु कोर्ट जिला भवन निर्माण कराये जाने से कोई आपत्ति यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।
	प्रस्ताव क्र. 11 आंगनबाड़ी भवन निर्माण के संबंध में।	द्वारा प्रस्ताव केन्द्र है चयनित	ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष सरपंच जी रखा गया कि ग्राम पंचायत तिलसिवां में 6 आंगनबाड़ी जिसमें 3 केन्द्र भवन विहीन है। तीनों केन्द्र के लिए जगह कराकर के भवन निर्माण करने का किया जायेगा।
		सर्व सम्मति से	उपस्थित सदस्यों ने आपस में चर्चा करके उपरोक्तानुसार चयनित पश्चात भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव सर्व पारित किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष
ग्राम सभा
ग्राम पंचायत तिलसिवां

सरपंच
ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला सूरजपुर (छ.ग.)

स्थान : .... तारीख : ....

प्रदर्श—"ब"

ग्राम सभा तिलसिवां की बैठक दिनांक 05/07/2021
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: तिलसिवां
स्थान: पंचायत भवन
दिनांक ....

आज दिनांक 05/07/2021 को ग्राम तिलसिवां के सरपंच श्री/श्रीमती कामेश्वर-सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 512 सदस्य 52.67 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:—

1. ग्राम तिलसिवां में आवेदक जिला एवं सत्र न्यायालय ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.820 हे. वन भूमि 1.820 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.820 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावद ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि जिला एवं सत्र न्यायालय कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 1.820 हे. वन भूमि / 1.820 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.820 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स —— (आवेदक) जिला एवं सत्र न्यायालय को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर ....
नाम कामेश्वर सिंह
सरपंच..............
सील सरपंच
ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला सूरजपुर (छ.ग.)

शिवप्रताप सिंह
अध्यक्ष
ग्राम सभा

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

उपस्थित सदस्य गण:

2

प्रारूप-4 (देखिए नियम- 13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम तिलसिवां
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 512
4. सम्मिलन की तारीख 05/07/2021
5. सम्मिलन का समय 1 बजे से

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)		सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
	हेतु	ग्राम छत्तीसगढ़ पंचायत की ग्राम सभा को ग्राम सभा श्री शिवप्रताप सिंह अध्यक्ष हेतु अध्य	पंचायत तिलसिवां जनपद पंचायत सूरजपुर में पूर्व सूचना के अनुसार राज अधिनियम 1993 की धारा 129-ख के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र नियम 1998 के नियम 6 एवं 7 (2) के तहत आज दिनांक 05/07/2021 का सम्मिलन रखा गया। बैठक के प्रारंभ में श्री सूरजप्रसाद रवि नेताम को नाम प्रस्तावित किया एवं उपस्थित सभी सदस्यों ने ग्राम सभा समर्थन किया।
	प्रस्ताव क्र.01 सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप मे अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।	बैठक भवन निर्माण 2006 के अन्तर्गत विभाग सूरजपुर पंचायत तिलसिवां चयनित किया व्यपवर्तन किया	मे सरपंच श्री द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सूरजपुर जिला कोर्ट में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के वन अधिकार मान्यता अधिनियम निर्धारित प्रपत्र मे अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता लोकनिर्माण द्वारा मांगा किया गया है। जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु ग्राम तहसील सूरजपुर अन्तर्गत ख.न. 529 में रकबा 1.820 हे. भूमि गया है। उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत जाना है।
		उपस्थित रकबा 1.820 हे. अन्तर्गत ग्राम अधिनियम 1980 सभा मे प्रस्ताव	सदस्यों ने आपस मे चर्चा करके अपेक्षानुसार भूमि ख.न. 529 ~~भूमि~~ चयनित भूमि को वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 स्तरीय वन समिति एवं ग्राम सभा सदस्यों को वन संरक्षण अन्तर्गत व्यपवर्तन किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।
	प्रस्ताव क्र. 02 व्यावसायिक परिसर निर्माण के संबंध में।	बैठक के बेरोजगार का निर्माण नं० 07 के संबंध में	मे श्री केदारनाथ राजवाड़े द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि गाँव को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ~~व्य~~ व्यवसायिक परिसर किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा में उपस्थित हल्का प० द्वारा व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु भूमि आवंटन के जानकारी दिया गया कि ख.नं० 529. रकबा 0.045 हे.,

सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिंवा
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

स्थान :

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

प्रारूप-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम तिलसिंवां
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 512
4. सम्मिलन की तारीख 05/07/2021 5. सम्मिलन का समय 1 बजे

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)		सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
		ख.न. 197 का निर्माण	रकबा 0.8002 हे., ख.न. ~~868~~ में से ~~0.045~~ हे. में व्यवसायिक परिसर किया जा सकता है।
		उपरोक्त भूमि पर पारित किया	सदस्यो ने आपस में चर्चा करके उपरोक्तानुसार उपरोक्त व्यवसायिक परिसर निर्माण कराने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से जाता है।
	प्रस्ताव क्र-03. आँगनबाड़ी केन्द्र बरपारा की अहाता निर्माण के संबंध में।	ग्राम आँगनबाड़ी केन्द्र सुरक्षित नहीं रहा है इसलिए आवश्यक है।	सभा बैठक में श्रीमती इन्द्रावती जायसवाल ने प्रस्ताव रखी कि बरपारा का बाउंड्रीवाल (अहाता) नहीं होने से बच्चे भी रहती है तथा परिसर की भूमि अतिक्रमण ~~होता~~ होते जा उक्त आँगनबाड़ी परिसर का अहाता निर्माण कराया जाना
		उपरोक्त दृष्टि से उक्त केन्द्र बरपारा निर्माण कार्य	सदस्यों ने आपस में चर्चा किया गया कि सुरक्षा को परिसर की भूमि को बचाये रखने के लिए आँगनबाड़ी का अहाता निर्माण कराये जाना अति आवश्यक है। कराये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।
	प्रस्ताव क्र-04 किसान मजदूर धर्मशाला हेतु आवंटन के संबंध में।	ग्राम के अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा पूर्व में भी 197/1 में से निर्माण कार्य भूमि का	सभा बैठक में किसान मजदूर ~~धर्मशाला~~ जन कल्याण समिति एवं ग्राम पंचायत तिलसिवां के निवासी श्री सूरजलाल रवि कि किसान मजदूर धर्मशाला हेतु भूमि आवंटन हेतु माँग किया जा चुका है। ग्राम पंचायत तिलसिवां की भूमि ख.न. रकबा 0.405 हे. भूमि को धर्मशाला आवंटन करने से उपयोग की प्रक्रिया प्रारंभ योजना बनाई गई है। किन्तु चिन्हांकित आवंटन न होने से निर्माण कार्य नहीं हो पाया है।

सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिंवा
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

स्थान : [illegible]रीख :

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

6 (9)

प्रारूप-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम तिलसिवां
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 517
4. सम्मिलन की तारीख 05/07/2021 5. सम्मिलन का समय 1 बजे

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
		उपस्थित सदस्यों ने आपस में चर्चा करके उपरोक्तानुसार भूमि आबंटन के संबंध में ह.प.न. 07 को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।
	प्रस्ताव क्र. 05 निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्ताव	बैठक में सरपंच जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम पंचायत तिलसिवां में विभिन्न निर्माण कार्य किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है (1) ललना पारा देवस्थल का अहाता निर्माण (2) देवल्ला पारा में सी.सी. रोड निर्माण। (3) बेलखिरी मार्ग में सी.सी. रोड निर्माण। उपस्थित सदस्यों ने आपस में चर्चा करके उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सचिव ग्राम पंचायत तिलसिवां ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

निशिकान्त सिंह मरावी अध्यक्ष ग्राम सभा

सरपंच ग्राम पंचायत तिलसिवां ज.पं.+जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सरपंच ग्राम पंचायत तिलसिवां ज.पं.+जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सत्यप्रतिलिपि

सचिव ग्राम पंचायत तिलसिवां ज.पं.+जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

स्थान तारीख ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

पंचनामा

आज दिनांक 20/04/2021 को ग्राम तिलसिवां प०ह०नं० 07 रा०नि०मं० बसदेई तह० सूरजपुर स्थित शासकीय ख० नं० 529 रकबा 1.820 हे० भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त भूमि वर्तमान अभिलेख में छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है उक्त भूमि मौके पर पड़त है अत भूमि पर किसी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ी जंगल नहीं है न ही कि किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई मकान नहीं बना हुआ है और न ही किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य किया जा रहा है। और न ही किसी प्रकार का वन अधिकार मान्यता पत्र किसी के नाम से जारी किया गया है।

अत: यह पंचनामा उपस्थित ग्रामीणों व अन्य अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष तैयार किया गया।

20/04/2021

हस्ताक्षर

राम प्रताप सिंह

वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत तिलसिवां जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.-जिला सूरजपुर (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र-सूरजपुर (छ.ग.)

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं.-बसदेई
तह.व जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

लाल चन्द

11

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक– 04/06/2021 का कार्यवाही विवरण

स्थानः सूरजपुर

दिनांक– 04/06/2021

आज दिनांक 04/06/2021 को अनुविभागीय अधिकारी (रा) सूरजपुर की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:–

1. ग्राम तिलसिवां में कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर के द्वारा सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु खसरा नम्बर 529 में से रकबा 1.820 हे. भूमि चयनित किया गया है। उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपघर्तन किया जाना है। इस बाबद ग्राम स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हल्का नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा हे. में	जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु प्रभावित रकबा	मद्	FRA के तहत् जारी वन अधिकार की मान्यता पत्र
1	तिलसिवा	07	529	6.394 हे.	1.820 हे.	छोटे झाड़ के जंगल (राजस्व वन भूमि)	निरंक

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। ग्राम तिलसिवां स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 529 में से रकबा 1.820 हे. भूमि सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण हेत कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नावली वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारस्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अतः यह एकमत से उपखण्ड स्तरीय समिति में निर्णय लिया गया कि ग्राम तिलसिवां स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 529 में से रकबा 1.820 हे. भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर के द्वारा उक्त भूमि पर सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी (वन) सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति	श्रीमती नंदेश्वरी सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति	श्री अमर सिंह सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति	श्री तुलसी राम यादव सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति	मुख्य कार्य. अधिकारी सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति